4.4.22 पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली अवलोकन की गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की सहमति उपरान्त प्रकरण उचित पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार गिर्वा द्वारा चाही अंदराज अनुसार प्रकरण। खसरा ख. 18, 19, 20 के हिस्से को दुरुस्त करते हुये निर्णीत किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नियमानुसार बाद तामील जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

4/4/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:39:15 IST
Reason: SelfAttested